

कार्यकारी आदेश 2020-68
(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 64)

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 335,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसने हज़ारों निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करता है और इसके अनुरूप स्वयं को ढालता है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, अक्टूबर 16, 2020 को, COVID-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबकि, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

जबकि, रोगियों के लिए कोविड-19 (COVID-19) से असंबंधित नियमित दवाएं सुलभ हों यह सुनिश्चित करने से अधिक लोग स्वस्थ रहेंगे और कोविड-19 (COVID-19) के उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल के संसाधन मुक्त हो पाएंगे; और,

जबकि, चिकित्सीय भाग का दयालु उपयोग कार्यक्रम अधिनियम (कम्पैशनेट यूज़ ऑफ़ मेडिकल केनाबिस प्रोग्राम एक्ट), 410 ILCS 130/55, और उसके साथ प्रदत्त विनियम, 77 इलि. प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव संहिता 946.200 एवं अनुवर्ती, जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) के लिए चिकित्सीय भाग हेतु अर्ह रोगियों और उनके नामित देखभालकर्ताओं को चिकित्सीय भाग रजिस्ट्री पहचान पत्र ("रजिस्ट्री पहचान पत्र") जारी करना आवश्यक करते हैं; और,

जबकि, रजिस्ट्री पहचान पत्र उन्हें जारी किए जाने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी हैं, 410 ILCS 130/70(d), 77 इलि. प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) संहिता 946.290 पर बनाया गया है; और,

जबकि, मान्य रजिस्ट्री पहचान पत्र बनाए रखने के लिए, अर्ह रोगियों और उनके नामित देखभालकर्ताओं को उनके रजिस्ट्री पहचान पत्र का समय समाप्त होने से कम-से-कम 45 दिन पहले नवीकरण शुल्क और पूरा किया हुआ नवीकरण आवेदन जमा करना होता है, 410 ILCS 130/70(c); और,

जबकि, नवीकरण आवेदन पूरा करने के लिए, अर्ह रोगियों को चिकित्सीय भाग के उपयोग के लिए किसी चिकित्सक का लिखित प्रमाणन प्राप्त व जमा करना होता है, 77 इलि. प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) संहिता 946.290(c)(1)(C), और एक चिकित्सीय भाग वितरण संगठन ("चिकित्सीय भाग वितरण केंद्र (डिस्पेंसरी)") को नामित करना होता है जहां से अर्ह रोगी अपनी चिकित्सीय भाग खरीदेगा, 77 इलि. प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) संहिता 946.290(c)(2); और,

जबकि, पंजीकृत अर्ह रोगी और नामित देखभालकर्ता चिकित्सीय भाग केवल उसी चिकित्सीय भाग वितरण केंद्र (डिस्पेंसरी) से प्राप्त कर सकते हैं जिसे उनके रजिस्ट्री पहचान आवेदन पर नामित किया गया है, 77 इलि. प्रशासनिक संहिता 946.280(a); और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के कारण, चिकित्सीय भाग के लिए अर्ह कई रोगी और उनके नामित देखभालकर्ता समय से चिकित्सक का लिखित प्रमाणन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), और 7 (12), के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं निम्नलिखित आदेश दे रहा हूँ:

अनुभाग 1. रजिस्ट्री पहचान नवीकरण।

- a. चिकित्सीय भाग का दयालु उपयोग कार्यक्रम अधिनियम (कम्पेशनेट यूज ऑफ़ मेडिकल केनाबिस प्रोग्राम एक्ट), 410 ILCS 130/70(c), और उसके साथ प्रदत्त विनियम, 77 इलि. प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव संहिता 946.290(c) के अनुसरण में यह आवश्यकता कि मान्य पंजीकरण पहचान पत्र बनाए रखने के लिए पंजीकृत अर्ह रोगी और देखभालकर्ता उनके रजिस्ट्री पहचान पत्र पर अंकित समय-समाप्ति दिनांक से कम-से-कम 45 दिन पहले एक पूरा किया हुआ नवीकरण आवेदन और नवीकरण शुल्क जमा करें, स्थगित की जाती है।
- b. चिकित्सीय भाग का दयालु उपयोग कार्यक्रम अधिनियम (कम्पेशनेट यूज ऑफ़ मेडिकल केनाबिस प्रोग्राम एक्ट), 410 ILCS 130/55(a) के अनुसरण में यह आवश्यकता कि जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) मान्य रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीकरण करने से पहले पूरे किए हुए नवीकरण आवेदन और नवीकरण शुल्क एकत्र करे, स्थगित की जाती है।
- c. 77 इलि. प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) संहिता 946.290(b) की आवश्यकता के अनुरूप अर्ह रोगी या नामित देखभालकर्ता अपने पहचान पत्र को एक या दो वर्षों का विस्तार देने के लिए रजिस्ट्री पहचान पत्र के समय-समाप्ति दिनांक से पहले के 45 दिनों के भीतर विस्तार फ़ॉर्म पूरा करके विस्तार शुल्क जमा करे, स्थगित की जाती है।
- d. जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) 1 अक्टूबर, 2020 और 30 अप्रैल, 2021 के बीच समाप्त होने वाले सभी मान्य रजिस्ट्री पहचान पत्रों के लिए एक वर्ष के नवीकरण या विस्तार में से जो भी उपयुक्त हो वह स्वीकृत करेगा।

अनुभाग 2. संचय खंड (सेविंग्स क्लौज़)। यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेलाधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker) राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल द्वारा अक्टूबर 30, 2020 को जारी

राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा अक्टूबर 30, 2020 को दायर